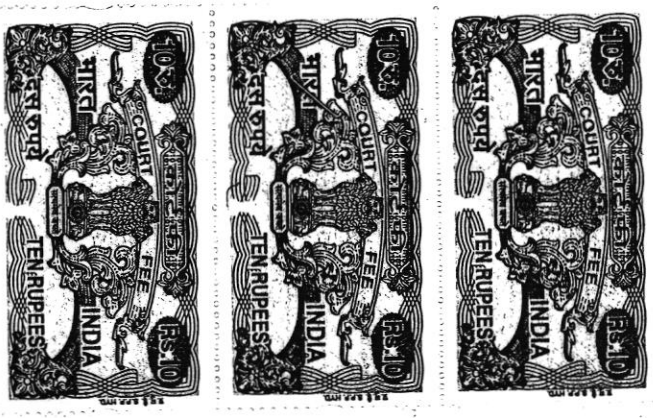

(5)

(14)

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

ग्रा निगरानी/शिवपुरी/भू-रा/2017/2097

प्रकरण क्रमांक /२०१७ पुनरीक्षण

श्री जितेन्द्र त्यागी अभिभाषक
द्वारा आज दि. 5-2-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Jitendra Tyagi

१) करनसिंह पुत्र स्व० श्री तेजसिंह यादव,
२) बालू पुत्र स्व० तेजसिंह यादव,
३) सियाराम पुत्र स्व० श्री तेजसिंह यादव,
४) पंचम पुत्र स्व० श्री तेजसिंह यादव,
सभी निवासीगण ग्राम दाबरघाट, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी म०प्र०)

---आवेदकगण

विरुद्ध

मूलादेवी पत्नि रघुवीरसिंह यादव,
निवासी ग्राम दाबरघाट, तहसील करैरा,
जिला शिवपुरी (म०प्र०)

-- --अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांकी २८-६-२०१७ पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक ४५३/१६-१७ अपील करनवान करनसिंह आदि बनाम मूलादेवी

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, अनावेदक ने विचारण न्यायालय तहसीलदार करैरा समक्ष म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा २५० के अन्तर्गत पेश किया कि ग्राम दाबरघाट तहसील करैरा की भूमि सर्वे ७७९ पर आवेदकगण द्वारा जबरन कब्जा किए हुए है। ... क्रमांक ७७८ में से रकबा ०-०२ हे० पर उसके पति रघुवी... ३० वर्ष पूर्व से बेडा बनाकर काबिज चले आ रहे हैं, उ...

--२

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/2097 **जिला** – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.11.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र त्यागी एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन को निरंतर किए जाने का अनुरोध किया। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह निगरानी प्रीमेचुअर है, क्योंकि यह निगरानी आयुक्त द्वारा स्थगन निरस्त किए जाने के आदेश के विरुद्ध है। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण सुनवाई के लिए नियत किया गया है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन की अवधि दिनाक 15.09.2017 को समाप्त हो चुकी है। इस कारण भी इस निगरानी को इस न्यायालय में चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाकर अभिलेख बुलाये जाने के आदेश दिए हैं। केवल आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया है, ऐसी स्थिति में इस निगरानी को चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आयुक्त को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके समक्ष लंबित प्रकरण का निराकरण दो माह में करें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निरस्त की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	